न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 295/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/419

–:: प्रार्थीगण ::–

1. श्रीमती इन्द्रा पत्नि पप्पुराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम अरटिया खुर्द तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर राजस्थान ।
2. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि महीराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम कानावासिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 12.08.2025

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मन्सूर अली छीपा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक : 29.09.2025

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम जसपाली पटवार हल्का जसपाली तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.1904 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 316 रकबा 2.5460 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा, खसरा संख्या 317 रकबा 1.4154 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 318 रकबा 1.4352 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा, खसरा संख्या 319 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा, खसरा संख्या 343 रकबा 0.3455 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 351 रकबा 1.1028 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 360 रकबा 0.0649 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 361 रकबा 1.2696 हैक्टेयर किस्म बारानी, कुल खसरे 09 कुल रकबा 8.4426 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 462, 463, 464, 465, 466 पर प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राजसुदा है। जिसके सबूत में जमाबंदी संवत 2081 की सलंग्न पेश है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त खसरो का दिनांक 08.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जो ऑनलाईन आवेदन संख्या 2025/8131/2 की पालना में किया गया प्रार्थीगण अपने उक्त खसरो की पत्थरगढी करवाना चाहते है प्रार्थीगण के खसरो के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण को सीमाज्ञान के अनुसार दिवार निकालने व तारंबदी करने में बाधा पहुंचाते है व दिंनाक 08.04.2025 के सीमाज्ञान को नही मानते हुए प्रार्थीगण को परेशान करते है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360, व खसरा संख्या 361 की पत्थरगडी के साथ वापस सीमाकंन करवाना चाहते जिससे किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है तथा प्रार्थीगण अपने खेतो की पत्थरगडी एवं सीमाज्ञान करवाने हेतू नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतू तैयार है। अतः श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम जसपाली पटवार हल्का जसपाली तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.1904 हैक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 2.5460 हैक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 1.4154 हैक्टेयर, खसरा संख्या 318 रकबा 1.4352 हैक्टेयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 343 रकबा 0.3455 हैक्टेयर, खसरा संख्या 351 रकबा 1.1028 हैक्टेयर, खसरा संख्या 360 रकबा 0.0649 हैक्टेयर, खसरा संख्या 361 रकबा 1.2696 हैक्टेयर, का सीमाज्ञान एवं पत्थरगडी किये जाने के सादर आदेश फरमाए जावे

व भूमिधारी तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित किया जावे की पत्थरगडी एवं सीमाज्ञान कर आदेश की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करे व पडोसी खसरों के खातेदारो द्वारा यदि कोई विवाद किया जाता है व पत्थरगडी करने में कोई बाधा पहुंचाई जाती है तो पुलिस इमदाद के साथ सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जसपाली के खसरा संख्या 315 रकबा 0.1904 हैक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 2.5460 हैक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 1.4154 हैक्टेयर, खसरा संख्या 318 रकबा 1.4352 हैक्टेयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 343 रकबा 0.3455 हैक्टेयर, खसरा संख्या 351 रकबा 1.1028 हैक्टेयर, खसरा संख्या 360 रकबा 0.0649 हैक्टेयर, खसरा संख्या 361 रकबा 1.2696 हैक्टेयर, कुल खसरे 9 इन्द्रा पत्नि पपुराम 1/2 जाति विश्नोई सा. अरटिया, सोहनी पत्नि महीराम 1/2 जाति विश्नोई सा कानावासिया खातेदार के नाम दर्ज है। जो कि राजस्व अभिलेख अनुसार स्वीकार्य हैं। वादग्रस्त आराजी ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360, 361 भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी प्रार्थीगणो द्वारा प्रमाणित नक्शा उपलब्ध करवाने पर किया जा सकता हैं।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360, 361 कुल खसरा 9 भूमि का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। जो प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360, 361 कुल खसरा 9 कुल रकबा 8.4426 हैक्टयर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं । अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 315, 316, 317, 318, 319, 343, 351, 360, 361 कुल खसरा 9 कुल रकबा 8.4426 हैक्टयर कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता होने पर जरीये पुलिस इमदाद के साथ सीमांकन किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

29/9/25

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

29/9/25

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर